

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी —श्री रामसिंह राजावत (आर0ए0एस)

आवेदन अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम,1956


प्रकरण संख्या 02/2017

कैलाश पुत्र स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी शीता का बास सीकर हाल बजाज
रोड़ ग्राम सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. कमल पुत्र स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज
ग्राम सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
2. चन्दा पुत्री स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज
ग्राम सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
3. सुलोचना पुत्री स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज
ग्राम सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
4. बिमला पत्नि स्व0 रामावतार जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
5. पीयूष पुत्र स्व0 रामावतार जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
6. प्रीती पुत्री स्व. रामावतार जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
7. निधि पुत्री स्व. रामावतार जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
8. दिव्या पुत्री स्व0 रामावतार जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
9. ललिता पत्नि स्व0 महेश जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
10. रंजन पुत्र स्व0 महेश जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
11. रिषि पुत्र स्व0 महेश जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान
12. अंकिता पुत्री स्व0 महेश जाति ब्राहमण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
सांवली तहसील व जिला सीकर राजस्थान


उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

13. श्वेता पुत्री स्व० महेश जाति ब्राह्मण निवासी शीतला का बास सीकर हाल बजाज ग्राम
राजसी तहसील व जिला सीकर राजस्थान
14. ग्राम पंचायत दुजोद जरिए सरपंच
15. तहसीलदार धोद

—रेस्पोंडेन्टस

आवेदन अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956


उपस्थित वकील प्रार्थी — श्री कैलाश सोनी
उपस्थित रेस्पोंडेन्टस—श्री अनिल कुमार शर्मा

निर्णय

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के ग्राम पंचायत दुजोद तहसील धोद जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 1817 दिनांक 4.7.2015 ग्राम दुजोद तहसील धोद जिला सीकर को निरस्त करने हेतु पेश की गई है।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1251/528 रकबा 2.00 है० एवं खसरा नम्बर 1253/0.9500 है० कुल कित्ता 02 कुल रकबा 2.95 है० वाके ग्राम दुजोद तहसील व जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त आराजी के रकबा 1.31 है० में पक्षकारान के पिता, दादा एवं ससुर मदनलाल पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी शीतला का बास सीकर का नाम अंकित है उक्त मदनलाल जी का दिनांक 10.9.2011 को स्वर्गवास हो चुका है। उनकी पत्नि परमेश्वरी देवी का दिनांक 22.3.1978 को स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 13 द्वारा मदनलाल जी का विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर गिरदावर सीकर द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि अंकन मृत्यु, वारिस एवं शपथ पत्र अनुसार सही है, ग्राम पंचायत मृतक के वारिसान की जांच करने हेतु निवदेन कर, नामान्तकरण आदेश दिनांक 04.07.2015 खारिज करने का माननीय न्यायालय में निवदेन किया गया है।


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोंडेन्टस संख्या 14,15 से किसी प्रकार की


उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सहायता नहीं चाहने हेतु लिखा गया है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 13 की ओर से वकील श्री अनिल कुमार शर्मा ने वकालत नामा पेश किया तथा साथ ही रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार करने पर किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं कि गई जिसके संबंध में रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं जो पत्रावली में शामिल मिसल रहें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1817 दिनांक 04.07.2015 ग्राम दुजोद तहसीलदार धोद को इस शर्त के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार, धोद जांच कर पुनः सही अंकन दर्ज करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपेन्द्र सिंह अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी धोद
मु० सीकर 26-5-17
क०प० भुवा (म)